न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 73/2007

सुशील पुत्र राजेराम जाति कुम्हार निवासी सिंहपुरा तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर (पंजाब) हाल आबाद मोजा थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. विजय सिंह
2. महेन्द्र सिंह

} पिसरान बाग सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3. शांति पत्नी राजेराम जाति कुम्हार निवासी सिंहपुरा तहसील फाजिल्का हाल आबाद मोजा थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. हेतराम
5. अनिल
6. गजानन्द
7. रामचन्द्र

} पिसरान राजेराम जाति कुम्हार निवासी सिंहपुरा तहसील फाजिल्का हाल आबाद मोजा थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

8. किशना राम
9. सोहन लाल
10. तुलछा राम
11. शेराराम

} पिसरान रामू जाति कुम्हार निवासी हिन्दुपुरा तहसील फाजिल्का।

12. श्योदत
13. जैसाराम
14. राजेराम
15. राधाकृष्ण
16. लच्छीराम

} पिसरान सिरदारा राम जाति कुम्हार निवासी रामकोट तहसील फाजिल्का

17. मंगी बेवा भागीरथ जाति कुम्हार निवासी रामकोट तहसील फाजिल्का।

राजस्व अपील प्राधिक...
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:27 IST
Reason: SelfAttested

18. पन्नाराम
19. चेतराम
20. भोजाराम

} पिसरान भागीरथ जाति कुम्हार निवासी रामकोट तहसील फाजिल्का।

21. चवली पुत्री भागीरथ जाति कुम्हार
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनांक 20.07.2007, प्र. सं. 249/1998

उपस्थितिः—

श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 11.08.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी बाग सिंह ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष घोषणा एवं बेदखली का पेश कर कथन किया कि वादी को सन् 1968 में तहसील नोहर में रोही मोजा थिरान में खसरा नम्बर 115 की 25 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जिसका कब्जा वादी को दे दिया था। बन्दोबस्त के दौरान उक्त खसरा का नया खसरा 104 बनाया गया था जिसमें कुल 51 बीघा भूमि है जिसमें वादी का 25 बीघा भूमि का पूर्वी हिस्सा में है। नई जमाबन्दी में खसरा नम्बर 104 की 51 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 10 व भागीरथ के नाम से खातेदारी दी गई, जो उसके नाम से गलत दर्ज हो गई है। खसरा नम्बर 104 की 51 बीघा भूमि प्रतिवादीगण की नहीं है, बल्कि इसमें 25 बीघा भूमि वादी के

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:27 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने 25 बीघा भूमि नारायण सिंह से सन् 1967 में खसरा नम्बर 115 में खरीद की गई थी। प्रतिवादी संख्या 6 से 10 व भागीरथ ने भी 25 बीघा भूमि खसरा नम्बर 115 में नारायण सिंह से खरीद की थी। प्रतिवादीगण की यह भूमि डूंगर सांसी के खेत से चिपती हुई व चिपती हुई पूर्व में अमरा कुम्हार के खेत से दक्षिण लालू सांसी के खेत से उत्तर में थी। जैसा कि प्रतिवादीगण के हक में कराये गये बैयनामा से स्पष्ट जाहिर है, लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर वादी की 25 बीघा भूमि गलत तौर से अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली। वादी उक्त 25 बीघा भूमि पर सम्वत् 2031 तक काश्त करता रहा, लेकिन रिकार्ड में खसरा नम्बर 104 की भूमि प्रतिवादीगण के नाम से आने के कारण प्रतिवादीगण ने सम्वत् 2032 में वादी की उक्त 25 बीघा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। वादी ने प्रतिवादी को भूमि से कब्जा छोड़ने के लिए कहा तो वह इन्कार हो गया। प्रतिवादी का उक्त 25 बीघा भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा है जो उसे दिलाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे।

2. वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश दिये। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने दिनांक 28.10.1978 को पैंरवीं करने की हिदायत नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी नोहर ने दिनांक 15.02.1985 को वादी का वाद स्वीकार किया जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 19.02.1986 को अस्वीकार कर दी जिसके विरूद्ध प्रतिवादी ने माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील पेश की जो दिनांक 03.02.1993 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर का आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:27 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुशील कुमार ने दिनांक 21.08.2005 को जवाब दावा पेश किया एवं वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 से 12 ने जवाब दावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया।

4. दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष सहित आठ वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी नोहर ने दिनांक 20.07.2007 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी का कथन है कि विवादित भूमि उसे 1968 में अलॉट हुई थी एवं 1969 में दावा पेश किया। वादी का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। विवादित भूमि अपीलांट द्वारा पंजीकृत बैयनामा के आधार पर क्रय की हुई है। बैयनामा के आधार पर क्रय शुदा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल कोर्ट द्वारा ही चुनौती देकर निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी द्वारा वाद पेश करने पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 15.02.1985 को वाद डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील पेश होने पर दिनांक 19.02.1986 को अपील अस्वीकार कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की जो दिनांक 03.02.1993 को स्वीकार कर प्रकरण विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य से अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित किया, जबकि प्रतिवादी ने साक्ष्य से वादी के कथनों का खण्डन नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वादी का वाद स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9. इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि वादी का वाद पूर्व में स्वीकार होने पर इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा खारिज कर दी गई एवं प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय को रिमाण्ड यिका गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित आठ तनकियात कायम की गई जिसमें से तनकी नम्बर 1 से 3 को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण ने तनकी नम्बर 1 को साबित करने के लिए प्रदर्श पी–1 नकल मिलान क्षेत्रफल, खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2030 प्रदर्श–2, नकल आवंटन आदेश दिनांक 05.10.1968 प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2038 प्रदर्श–7 पेश की जिससे यह साबित है कि मृतक बाग सिंह को खसरा नम्बर 115 की 25 बीघा भूमि दिनांक 05.10.1968 को आवंटन हुई थी जो हाल खसरा नम्बर 104 की 25 बीघा भूमि पूर्वी हिस्सा की भूमि में परिवर्तित हुई। इसके खण्डन स्वरूप प्रतिवादी/अपीलांट ने न तो अधीनस्थ न्यायालय में, न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह माना जा सके कि उक्त भूमि अन्य जगह की है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार यह साबित है कि विवादित भूमि बाग सिंह की आवंटन शुदा भूमि कब्जा काश्त की भूमि थी जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के पक्ष में करने में कोई भूल नहीं की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:27 IST
Reason: SelfAttested

है। इसी तनकी के निर्णय के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में कर प्रतिवादी को विवादित भूमि से बेदखल करवाने का अधिकारी मानने में कोई भूल नहीं की है।

10. तनकी नम्बर 4 से 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने उक्त तनकिओं को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 4 से 7 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध करने में कोई भूल नहीं की है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमारे विचार से कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2007 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/8/21

(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील संख्या 73/2007

सुशील पुत्र राजेराम जाति कुम्हार निवासी सिंहपुरा तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर (पंजाब) हाल आबाद मोजा थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. विजय सिंह
2. महेन्द्र सिंह

} पिसरान बाग सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3. शांति पत्नी राजेराम जाति कुम्हार निवासी सिंहपुरा तहसील फाजिल्का हाल आबाद मोजा थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4. हेतराम
5. अनिल
6. गजानन्द
7. रामचन्द्र

} पिसरान राजेराम जाति कुम्हार निवासी सिंहपुरा तहसील फाजिल्का हाल आबाद मोजा थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

8. किशना राम
9. सोहन लाल
10. तुलछा राम
11. शेराराम

} पिसरान रामू जाति कुम्हार निवासी हिन्दुपुरा तहसील फाजिल्का।

12. श्योदत
13. जैसाराम
14. राजेराम
15. राधाकृष्ण
16. लच्छीराम

} पिसरान सिरदारा राम जाति कुम्हार निवासी रामकोट तहसील फाजिल्का

17. मंगी बेवा भागीरथ जाति कुम्हार निवासी रामकोट तहसील फाजिल्का।

18. पन्नाराम
19. चेतराम
20. भोजाराम

} पिसरान भागीरथ जाति कुम्हार निवासी रामकोट तहसील फाजिल्का।

21. चवली पुत्री भागीरथ जाति कुम्हार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनांक 20.07.2007, प्र. सं. 249/1998

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक अपीलार्थी श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2007 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 11.08.2021 को जारी की गई।

11/8/21

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:27 IST
Reason: SelfAttested